

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
एकमा सारण।

पटना, दिनांक:— 29-09-2026

विषय:— सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज अन्तर्गत सारण जिला के एकमा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज एकसार के ग्राम—नगरा बसंतपुर वार्ड सं०—06 में महाराजगंज उप शाखा नहर के कि०मी० 16.16 से निःसृत परसा माईनर के कि०मी० 2.80 बाँयां से निःसृत नगरा जलवाहा के बाँयां बाँध पर कि०मी० 0.836 से कि०मी० 0.896 कुल लम्बाई 60 मीटर में पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:— आपका पत्रांक 1197 दिनांक 26.05.2026 एवं मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान का पत्रांक 2700 दिनांक 22.08.2026

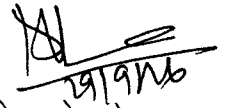
महाशय,

सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज अन्तर्गत सारण जिला के एकमा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज एकसार के ग्राम—नगरा बसंतपुर वार्ड सं०—06 में महाराजगंज उप शाखा नहर के कि०मी० 16.16 से निःसृत परसा माईनर के कि०मी० 2.80 बाँयां से निःसृत नगरा जलवाहा के बाँयां बाँध पर कि०मी० 0.836 से कि०मी० 0.896 कुल लम्बाई 60 मीटर में पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् समीक्षोपरांत विषयक कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:—

1. नहर के मूल स्वरूप यथा रूपांकित सेक्शन में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा छेड़-छाड़ नहीं किया जाय।
2. नहर सेवापथ के मूल डिजाईन सेक्शन को यथावत् रखते हुये मिट्टीकरण/ईट्टीकरण/पक्कीकरण कार्य कराया जाय।
3. नहर बाँध पर कार्य कराये जाने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मत/सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी योजना प्राधिकार की होगी।
4. कार्य के दौरान नहर द्वारा किए जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं किया जाय।
5. निर्माण कार्य के समय नहर से संबंधित कार्यपालक अभियंता को निश्चित रूप से ससमय सूचना दी जाय ताकि नहर के रूपांकित सेक्शन आदि की जाँच आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनके द्वारा की जा सके।

6. जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
7. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक सामग्रियों मलवा आदि को हटाने एवं साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्य कराने वाले प्राधिकार/विभाग की होगी।
8. उक्त निर्माण कार्य से विभागीय स्वामित्व किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।
9. नहर के बाँध पर जल संसाधन विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य तरह का कार्य कराया जा सकेगा एवं उपयोग का अधिकार जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
10. नहर के Dowel Section को पूर्णरूपेण सेक्शन में स्थापित रखना होगा।
11. नहर बाँध के Formation Level को बिल्कुल Maintain रखना होगा एवं किसी भी परिस्थिति में बाँध पर मिट्टीकरण/ईट्टीकरण/ पक्कीकरण कार्य नहर बाँध के रूपांकित Formation Level के नीचे नहीं किया जायेगा।
12. नहर बाँध के Formation Level को Maintain करने के लिये आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी की कटाई नहर के किसी भी सेक्शन अथवा नहर चार्ट से मिट्टी नहीं काटा जायेगा।
13. कार्य के दौरान नहर के सेवापथ पर आवागमन को बंद नहीं किया जायेगा।
14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य को अवैध माना जायेगा।

विश्वासभाजन



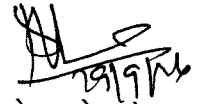
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:—मो0 2—सिवान —25/2026— 1963

/पटना, दिनांक: 29-09-2026

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तों के अनुपालनार्थ प्रेषित।



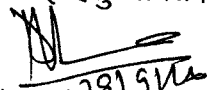
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:—मो0 2—सिवान —25/2026— 1963

/पटना, दिनांक: 29-09-2026

प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी, छपरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



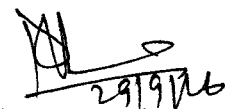
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:—मो0 2—सिवान —25/2026— 1963

/पटना, दिनांक: 29-09-2026

प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियंता, IT Centre, WRD को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)